उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं० / Ref.No. 123/NGT OA No. 730/2023/413/2024-25 दिनांक / Date 02-05-2024

By E-mail

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: **Regarding Submission Of Action Taken Report On Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board In Compliance To The Order Dated 21.12.2023 Passed By Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 730 of 2023 News Item Titled "Van Vibhag Ke Sanrakshan Mein Ho Raha Tha Avaidh Maurang Khanan SDM Kee Karvaai To DFO Ne Bhi Shuru Kee Jaanch" Appearing In Chandoli Samachar Dated 02.12.2023.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 21.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 730 of 2023 News Item Titled "Van Vibhag Ke Sanrakshan Mein Ho Raha Tha Avaidh Maurang Khanan SDM Kee Karvaai To DFO Ne Bhi Shuru Kee Jaanch" Appearing In Chandoli Samachar Dated 02.12.2023. The Action Taken Report on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures:As above

(Dr. S.C. Shukla) 02/5/24
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाष : 0542–2275951, फैक्स : 0542–2275951
मुख्यालयः टी०सी०–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष : 0522–2720828, 2720681, 2720831. फैक्स : 0522–2720764

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 88/NGTOA No. 730/2023/2024-25 दिनांक / Date. 16/04/2024

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 730/2023 News item appearing in Chandoli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मौरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने भी शुरू की जॉच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बंध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 06166/सी–6/सा0–807 / O.A. No. 730/2023/2024, दिनांक 24.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बंध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत ओ.ए. नं. 730/2023 News item appearing in Chandoli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मौरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने भी शुरू की जॉच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बंध में खनन स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या, निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ्स, प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी की अनुपालन आख्या, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण, खान अधिकारी, चन्दौली के पत्र दिनांक 12.03.2024 की छायाप्रतियॉ पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 16/4/24
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 730/2023 News item appearing in Chandoli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मौरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने भी शुरू की जॉच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब, नौगढ़ रेन्ज (आरक्षित वन क्षेत्र), नौगढ़, तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग खुदान का स्थलीय निरीक्षण।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 730/2023 News item appearing in Chandoli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मौरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने भी शुरू की जॉच" में दिनांक 21.12.2023 को आदेश पारित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"........... 4. The reply filed on the basis of the advance notice does not disclose any action against the Project Proponents for causing environmental loss and consequential imposition of EC. Hence, the UPPCB is directed to ascertain it and take appropriate action in this regard after duly complying with the principle of 'Natural Justice' and giving an opportunity of hearing to the Project Proponent.

5. The reply is also silent about the restoration of the area. Learned Counsel for the State is also directed to file a report before the Registrar General of the Tribunal disclosing the steps which are taken for restoration of the area within three months and if found necessary, the matter may be listed for consideration before the Tribunal.

6. The action taken report be also submitted by the UPPCB before the Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed for consideration before the Tribunal.

7. The Original Application is accordingly disposed of........."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बंध में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 06166/सी–6/सा0–807/O.A. No. 730/2023/2024, दिनांक 24.01.2024 द्वारा शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण एवं वांछित कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया। उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत् प्रकरण की जॉच हेतु उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब, नौगढ़ रेन्ज (आरक्षित वन क्षेत्र), नौगढ़, तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के साथ दिनांक 22.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण/सर्वेक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास का

कार्य मै0 विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा कराया जा रहा है। उक्त फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग का खुदान कार्य कर उपरोक्त पाथवे निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया है।

2. निरीक्षण के समय उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में 26.5 मीटर लम्बाई एवं 11.5 मीटर चौड़ाई में मोरंग का खुदान पाया गया किन्तु गहराई में निकाले गये मोरंग का सत्यापन मोरंग भरान के कारण नहीं किया जा सका। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल से 1.9 मीटर गहराई में मोरंग का खुदान पूर्व में किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्रांतर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर 9.0 मीटर लम्बाई एवं 3.2 मीटर तथा 2.0 मीटर गहराई में जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया था। इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636 घनमीटर मोरंग का खुदान कर निकाला गया है। मोरंग खुदान स्थल का जिओ को–आर्डिनेट्स 24.863178 लैटीट्यूड एवं 83.292498 लांगीट्यूड पाया गया। निरीक्षण के समय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मोरंग उत्खनित क्षेत्र को मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के ठेकेदार से भरवा दिया गया है। निरीक्षण के समय उत्खनित स्थल मोरंग से भरा हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर 6.0 मीटर लम्बाई x 4.0 मीटर चौड़ाई एवं 1.0 मीटर ऊँचाई के 03 रिटेनिंग वाल का निर्माण किया हुआ पाया गया। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि इससे वर्षाकाल में में बोना नाली में जल का संचय होगा तथा रिटेनिंग वाल से वर्षा के जल का बहाव अवरूद्ध होने के कारण उत्खनित वन भूमि में नमी बढ़ाने में सुविधा होगी। साथ ही डाली गयी मोरंग पूरी तरह स्थापित हो जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त रिस्टोर्ड उत्खनित स्थल पर आगामी वर्षाकाल 2024 में स्थानीय प्रजाति यथा खैर, बेर, ऑवला, नीम, शीशम, महुआ एवं इमली के स्थानीय रूप से एकत्र किये गये बीज का बुआन किया जायेगा। निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा प्रश्नगत् ओ0ए0नं0 730/2023 में अनुपालन आख्या अपने पत्र संख्या 3920/10 रिट रामनगर, दिनांक 28.02.2024 इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो दिनांक 29.02.2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

3. निरीक्षण के समय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली से मोरंग का खुदान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत मै0 विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2373/NGTOANo. 730/2023/2023-24, दिनांक 07.03.2024 के द्वारा मोरंग खुदान के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु भारतीय डाक विभाग द्वारा पंजीकृत पत्र पर Not Traces लिखकर इस कार्यालय में दिनांक 15.03.2024 को वापस प्राप्त हुआ।

4. मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार के श्री राहुल किशोर राय इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने पत्र दिनांक 28.03.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपस्थित हुआ हूँ तथा दिनांक 04.03.2024 से 15.03.2024 तक पटना से बाहर होने के कारण पत्र प्राप्त नहीं कर सका था, जिसके कारण वांछित उत्तर प्रेषित नहीं कर सका। मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के श्री राहुल किशोर राय द्वारा मोरंग खनन के सम्बंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया है:–

"...................... **नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास कार्य के अन्तर्गत मेरी संस्था मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को एप्रोज रो के निर्माण हेतु वर्क आर्डर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को निर्गत किया गया था। मेरी संस्था द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य नौगढ़ बीट के ब्लाक क0नं0–14बी (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य कर पाथवे निर्माण में प्रयोग किया गया है। मेरी संस्था द्वारा अज्ञानतावश 636 घनमीटर मोरंग का अवैध खनन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के निर्देशानुसार मेरी संस्था द्वारा उत्खनित स्थल को मोरंग से भरवा दिया गया है............**"

5. पुनः मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार के श्री राहुल किशोर राय अपने पत्र दिनांक 02.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि

नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत ओरवा टाड़ जल प्रपात क्षेत्र में मोरंग खुदाई का कार्य लगभग 06 दिन चला था (छायाप्रति संलग्न)।

6. खान अधिकारी, चन्दौली अपने पत्र संख्या 523/तीस–उपखनिज/2023–24, दिनांक 12.03.2024 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब, नौगढ़ रेन्ज (आरक्षित वन क्षेत्र), नौगढ़, तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग के खुदान कार्य हेतु खनिज विभाग से कोई अनुमति जारी नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र से अवैध मोरंग का खुदान किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को मोरंग खुदान हेतु सहमति आदेश निर्गत नहीं किया गया है और न ही इस हेतु आवेदन किया गया था।

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2029 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि के आंकलन के सम्बंध में गाइडलाईन तैयार की गई है, जो कि निम्नानुसार है:–

Environment compensation (EC)=Pollution Index (PI)xNos of days from which the non compliance has been observed (N)x Factor in rupees (R) x Factor for scale of operation (S)x Location Factor (LF)

Where,

PI=50	80 for red category unit, 50 for orange category unit, 30 for green category unit.
N=6	Nos of days from which the non compliance has been observed.
R=250	Factor in rupees
S=0.5	Factor for scale of operation=0.5 as unit is covered in small category, 1.0 medium scale unit, 1.5 for large scale unit.
LF=1.0	Location factor-1.0 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 lac to 50 lac, 1.5 for population 50 lac to 10 Cr and 2.0 for population more than 10 Cr.
Therefore EC=PIxNxRxSxLF =50x6x250x0.5x1.0=37,500.00	

उक्त के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना अवैध मोरंग खनन कार्य किये जाने के कारण कुल 06 दिन डिफाल्टर अवधि हेतु कुल रू0 37,500 (रू0 सैत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि ऑकलित की जाती है।

9. उ0 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची रायल्टी (नियम–21) के बिन्दु संख्या–5(ख) में पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न मोरंग हेतु रू0–75.00 प्रतिघनमीटर रायल्टी निर्धारित किया गया है। मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार द्वारा उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब, नौगढ़ रेन्ज (आरक्षित वन क्षेत्र), नौगढ़, तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में 636 घनमीटर अवैध मोरंग का खनन किया गया है। उ0 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न मोरंग हेतु रू0 75.00 प्रतिघनमीटर निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु तैयार की गयी गाइड लाइन के अनुसार उत्तरदायी फर्म के विरूद्ध अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

1. Ilegal Mined Mineral (Z) - 636 Cubic Meter
2. Market Value of Illegally Mined Material (D)- 636 X 75 = 47,700/-
3. Risk Factor (RF) - 1
4. Deterrence Factor (DF) - DF- 1
5. Compensation- D x (1+RF+DF) = 47700 x (1+1+1)= 1,43,100/-

10. बिन्दु संख्या–8 के अनुसार राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाईन के अनुसार रू0 37,500 (रू0 सैत्तीस हजार पांच सौ मात्र) तथा अवैध खनन हेतु बिन्दु संख्या–9 के अनुसार रू0 1,43,100/- (रू0 एक लाख तैतालिस हजार एक सौ मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,80,600.00 (रू0 37,500.00+1,43,100.00) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उत्तरदायी फर्म मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार के विरूद्ध कुल धनराशि रू0 1,80,600.00 (रू0 एक लाख अस्सी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

16/4/24	16.4.24	16.4.24	16/4/24
(रणजीत कुमार)	(आर0एन0 चौधरी)	(सी0पी0 वर्मा)	(डॉ0 एस0 सी0 शुक्ला)
अनुश्रवण सहायक	वैज्ञानिक सहायक	वैज्ञानिक सहायक	क्षेत्रीय अधिकारी

<u>मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)</u>

FIRST SCHEDULE
Rate of Royalty (rule-21)

Sl. no.	Minerals	Rate of Royalty
1	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter
2	Marble or Marble chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3	Brick earth	Nil
4	Building Stone (i) Granite (Sized dimensional stone) (a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs. 3000.00 per cubic meter
	(ii) Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quarzite)	Rs. 650.00 per cubic meter
	(iii) Millstone and Hand Chakis (Sand stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
	(iv) Khandas and Boulders (a) Granite and Dolostone sized up to 25cm. x 25cm. x 25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to 25cm. x 25cm. x 25cm	Rs. 100.00 per cubic meter
	(v) Ballast (Gitti) (a) Granite and Dolostone (b) Sand Stone/Quartizite (c) Stone Dust	 Rs. 160.00 per cubic meter Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 100.00 per cubic meter
5.	Morrum (a) available in the river bed (b) red morrum deposit due to erosion of hills	 Rs. 150.00 per cubic meter Rs. 75.00 per cubic meter
6.	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes) (a) First category (found in districts mentioned in schedule second) (b) Second category (found in districts mentioned in schedule second)	 Rs. 65.00 per cubic meter Rs. 55.00 per cubic meter
7.	Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter
8.	Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9.	Pyrophylite	Rs. 300.00 per tonne
10	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne
11	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne
12.	China Clay	12% of Pit mouth value
13.	Calcite	12% of Pit mouth value
14.	Quartz	Rs. 100 per tonne
15.	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value.

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 730/2023 News item appearing in Chandauli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मोरंग खनन, एस0डी0एम0 की कार्यवाही तो डी0एफ0ओ0 ने भी शुरू की जांच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब (आरक्षित वन क्षेत्र), तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग खुदान का दिनांक 22.02.2024 को निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

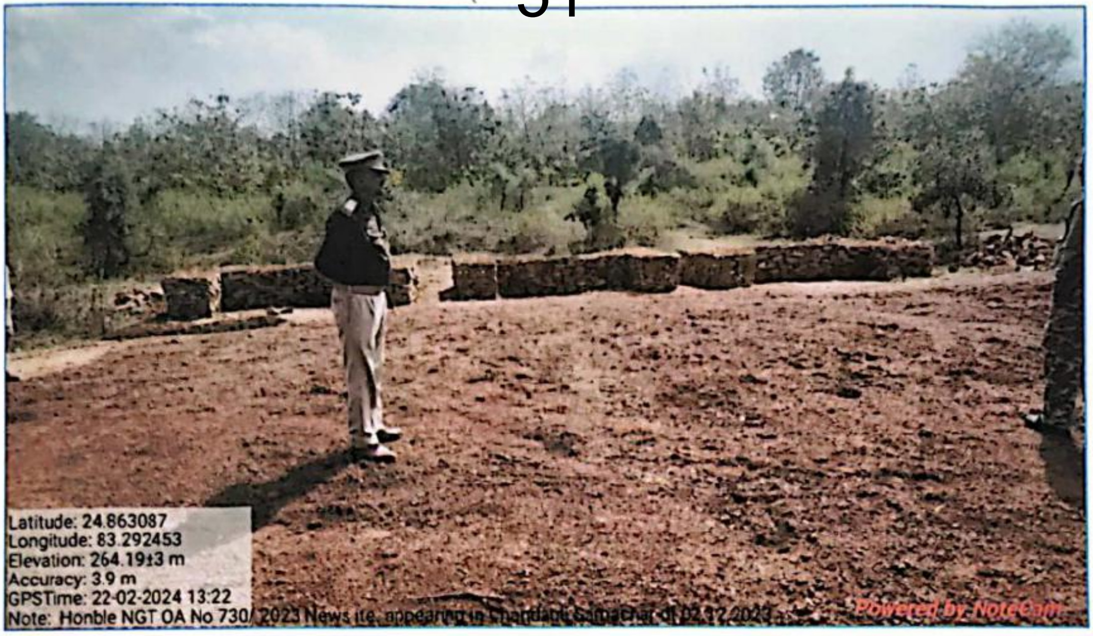

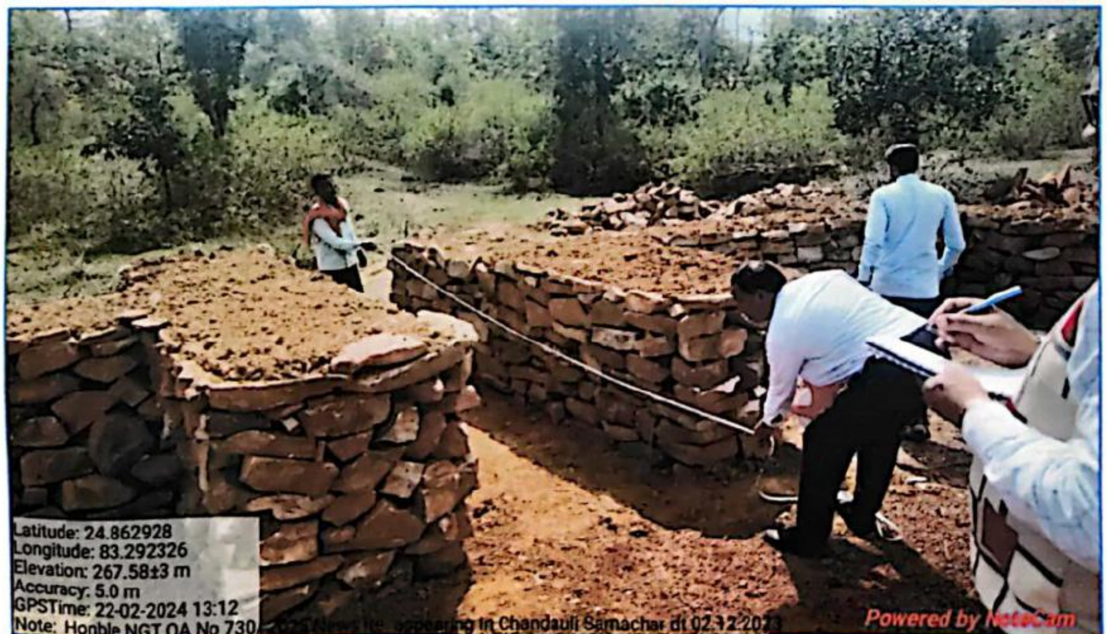

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 730/2023 News item appearing in Chandauli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मोरंग खनन, एस0डी0एम0 की कार्यवाही तो डी0एफ0ओ0 ने भी शुरू की जांच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब (आरक्षित वन क्षेत्र), तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग खुदान का दिनांक 22.02.2024 को निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

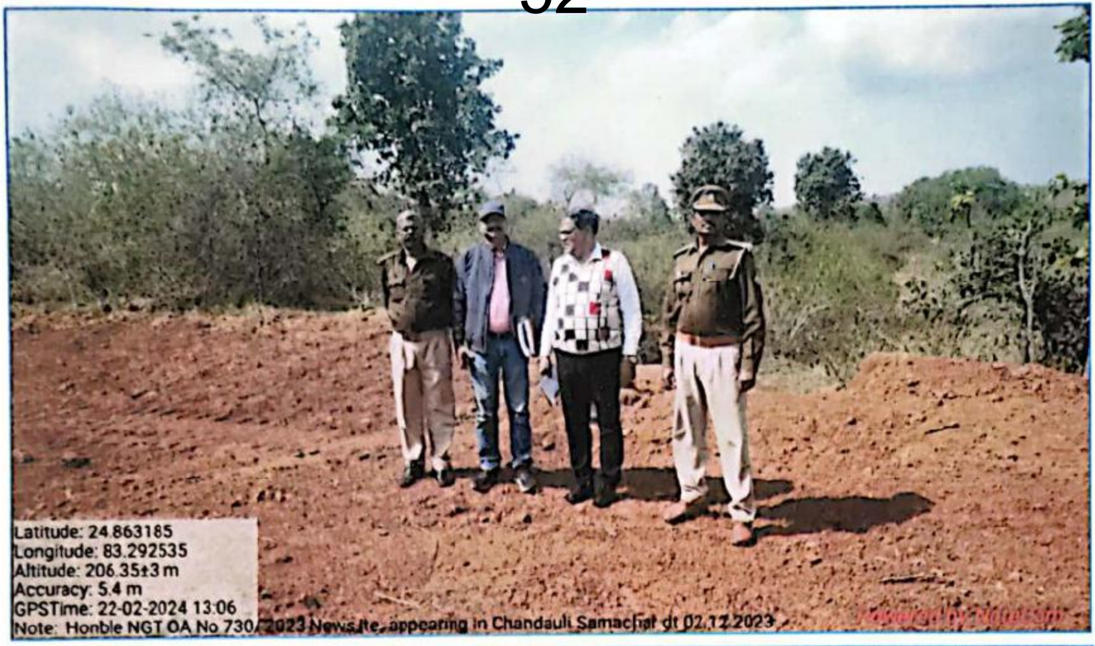

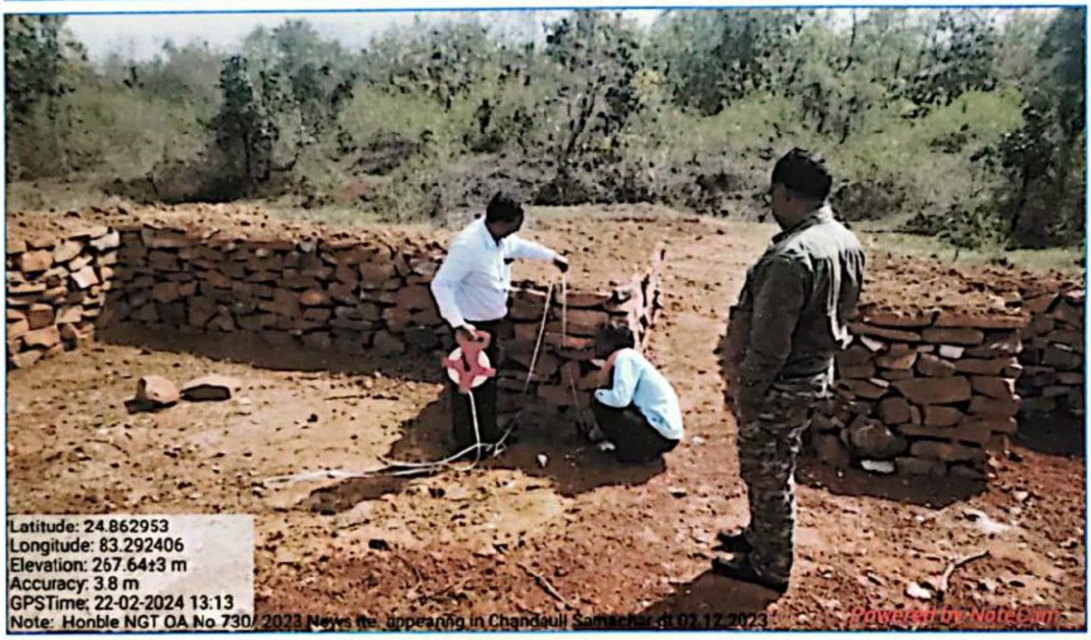

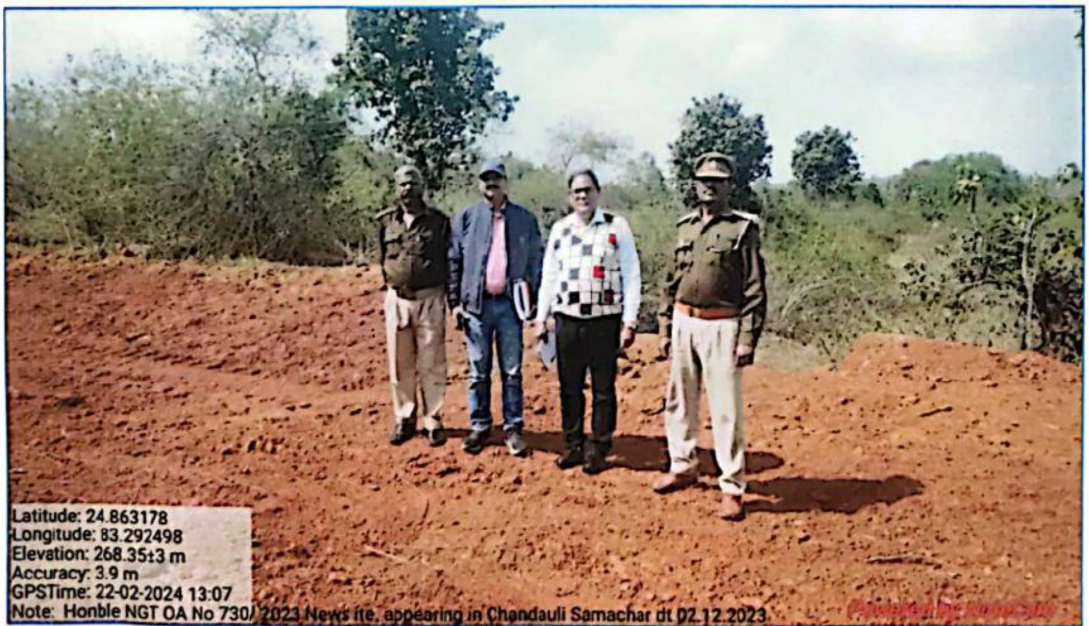

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 730/2023 News item appearing in Chandauli Samachar dated 02.12.2023 titled "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मोरंग खनन, एस0डी0एम0 की कार्यवाही तो डी0एफ0ओ0 ने भी शुरू की जांच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब (आरक्षित वन क्षेत्र), तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग खुदान का दिनांक 22.02.2024 को निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

29.2.24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 3920 / 10 रिट रामनगर, दिनांक, फरवरी 28 ,2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, आवास विकास आफिस काम्प्लेक्स,
जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी।

विषय : **मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0–730/2023, न्यूज आइटम अपीयरिंग इन चन्दौली समाचार, दिनांक 02.12.2023 टाइटिल, "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मोरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने भी शुरु की जाँच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : **आपके कार्यालय का पत्र संख्या–2266/एन.जी.टी., ओ.ए.नं0–730/2023/ 2023–24, दिनांक 23.02.2024**

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम संख्या–4, 5, 6 व 7 का उल्लेख करते हुए विभागीय स्तर पर की एक्शन टेकेन रिपोर्ट/अनुपालन आख्या तथा प्रोपोनेण्ट के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना (फर्म का नाम, प्रोपराइटर/पार्टन का नाम व पता) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। व्यक्त की गयी पृच्छा के सापेक्ष मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 21.12.2023 के क्रम संख्या–4, 5, 6 व 7 पर अनुपालन आख्या निम्नवत है –

बिन्दु–4 नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटाँड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास का कार्य मै0 विवान इण्टर प्राइजेज प्रो0 श्री राहुल किशोर राय, निवासी–फ्लैट नं0–303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव फुलवारी पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार, पिन–800013 द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग का खुदान कार्य कर उपरोक्त पाथवे निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया। इस अवैध खनन की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–286/10–1, दिनांक 05.12.2023 के माध्यम से उत्खनित क्षेत्र की जाँच कर 636.00 घ0मी0 मोरंग का अवैध खनन होना अवगत कराया गया है। उक्त अवैध खनन के विरुद्ध नौगढ़ रेंज केस संख्या–10/2023–24, दिनांक 02.12.2023 इजरा किया गया तथा उक्त अवैध खनन कार्य में लिप्त 03 ट्रैक्टर व 01 जे0सी0बी0 मशीन को नौगढ़ थाने से क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ द्वारा अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त कर उक्त सीज करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की गयी। प्रकरण में मै0 विवान इण्टर प्राइजेज के प्रोपराइटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0–303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव फुलवारी पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार, पिन–800013 को इस कार्यालय के रजिस्टर्ड नोटिस पत्र संख्या–3295/10–केस, दिनांक 15.01.2024 **(संलग्नक–1)** द्वारा नोटिस निर्गत की गयी। उक्त नोटिस को श्री राहुल किशोर राय द्वारा दिनांक 31.01.2024 को प्राप्त किया गया तथा सम दिनांक को ही अपना उत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–2)**। जैसा कि प्रश्नगत क्षेत्र के इकोटूरिज्म कार्य के ठेकेदार श्री राहुल किशोर राय द्वारा अपने उत्तर दिनांक 31.01.2024 में उल्लेख किया गया है कि वे प्रश्नगत मोरंग उत्खनन अवधि में अस्वस्थ थे तथा उन्हें चिकित्सक द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। तदसमय उनके द्वारा मोरंग हेतु नन्दू यादव को कार्य दिया था। उनके पर्वेक्षक संदीप कुमार के कहने पर कार्य हुआ। श्री राहुल किशोर राय द्वारा यह भी

SAI... 29/2/24 29.2.24 29/2/24

कहा गया कि – **"मैं जब पूछा कि मोरंग वैधानिक तरीके से लेना था और कहाँ से लाया तो कुछ भी जबाब नहीं मिला। अतः हमने अपने पर्वेक्षक को निलम्बित कर दिया और सभी साइट स्टाफ को निर्देश दिया कि कोई काम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं कराया जाय और कहाँ से मटेरियल लाया जा रहा है उसकी भी निरीक्षण किया जाय।"**

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इस कार्यालय की उपरोक्त नोटिस दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन में माह फरवरी 2024 में मै0 विवान इण्टर प्राइजेज द्वारा प्रश्नगत आरक्षित वन क्षेत्र से उत्खनित मोरंग को अन्य क्षेत्र से क्रय कर उक्त आरक्षित वन स्थल को भरवाकर पूर्व से अच्छी स्थिति में लाकर प्रश्नगत क्षेत्र को पर्यावारणीय दृष्टि से और सुदृढ़ कर रिस्टोर करने के साथ ही साथ उक्त स्थल पर वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु अग्रिम मृदा कार्य भी कराया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व में उत्खनित मोरंग के वन क्षेत्र का फोटोग्राफ तथा रिस्टोरेशन के पश्चात् का फोटोग्राफ संलग्न है **(संलग्नक–3)**। प्रकरण में यह भी उल्लेख करना है कि आरक्षित वन क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्तानुसार किये गये गैर वानिकी कार्य को गम्भीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

बिन्दु–5 जैसा कि उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत मोरंग उत्खनित क्षेत्र को मै0 विवान इण्टर प्राइजेज के केठेदार से भरवाकर उक्त उत्खनित स्थल को पर्यावारणीय दृष्टि से और सुदृढ़ कर रिस्टोर करने के साथ ही साथ उक्त स्थल पर 2.50 मी0 x 2.50 मी0 के अन्तराल पर 0.45 x 0.45 x 0.45 साइज के 100 गड्ढे खोदे गये हैं **(संलग्नक–4)** तथा जल व मृदा संरक्षण के लिए (3.00 मी0 x 0.60 मी0 x 0.45 मी0) साइज के ट्रेंच खोदे गये हैं। इसके अतिरिक्त 6.00 मी0 लम्बाई x 4.00 मी0 चौड़ाई x 1.00 मी0 के 3 रिटेनिंग वाल बनाये गये हैं, ताकि वर्षाकाल में बोना नाली में जल का संचय हो सके एवं रिटेनिंग वाल से वर्षा के जल का बहाव अवरुद्ध हो सके, ताकि उत्खनित वन भूमि में नमी को बढ़ाया जा सके एवं कम समय में बाहर से लोक डाली गयी मोरंग पूरी तरह स्थापित हो सके। वर्षाकाल में रोपण के पूर्व बाहर से मिट्टी लाकर एवं कम्पोस्ट खाद मिलाकर गड्ढों का भरान किया जायेगा एवं ट्रेंचों पर स्थानीय प्रजाति – खैर, बेर, आँवला, नीम, शीशम, महुआ एवं इमली के स्थानीय रूप से एकत्र किये गये बीज का बुआन किया जायेगा। खोदे गये गड्ढों में बहेड़ा, आँवला, महुआ, नीम, पलास, बेर, इमली के पौधों का रोपण किया जायेगा। उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य किये जाने को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त संलग्नक–3 के फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य किया जा चुका है। उक्त रिस्टोर्ड उत्खनित स्थल पर आगामी वर्षाकाल–2024 में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

बिन्दु–6 इस बिन्दु पर आख्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के स्तर से अपेक्षित है।

बिन्दु–7 इस बिन्दु पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मै0 विवान इण्टर प्राइजेज प्रो0 राहुल किशोर राय का पता–फ्लैट नम्बर–303 बी, सन्त साईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलिपुत्र, बिहार है। उपरोक्तानुसार पृच्छित एक्शन टेकेन रिपोर्ट/अनुपालन आख्या अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिलीप कुमार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

संलग्नक-1

रजिस्टर्ड

नोटिस

सेवा में,

मै0 विवान इण्टर प्राइजेज,
प्रो0 राहुल किशोर राय,
फ्लैट नं0 303 बी, संतसाई इनक्लेव फुलवारी पटना,
पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार।
पिन– 800013

महोदय,

दिनांक 02.12.2023 को शिकायत प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा नायब तहसीलदार नौगढ़ व उनके हमराहियों को नौगढ़ वन रेंज के नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब की जांच हेतु मौके पर भेजा गया। मौके पर एक जे0सी0बी0 एवं तीन ट्रैक्टर आरक्षित वन क्षेत्र के अन्दर मौरंग का अवैध खनन करते पाये गये। मौके से ही नायब तहसीलदार द्वारा उक्त जे0सी0बी0 एवं तीनों ट्रैक्टर ट्राली सहित मय मौरंग(वन उपज) के नौगढ़ थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। प्रकरण आरक्षित वन क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त वाहनों को समदिनांक को ही क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा नौगढ़ थाने से अपनी अभिरक्षा में प्राप्त कर नियमानुसार विविधक कार्यवाही आरम्भ की गई। प्रश्नगत अवैध खनन की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी मझगाई रेज से करायी गई। उनके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर 636.00 घ0मी0 मौरंग (वन उपज) का अवैध खनन किया जाना अवगत कराया गया। प्रकरण में जें0सी0बी0 के चालक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपरोक्त अवैध खनन कार्य आपके द्वारा कराया गया है। इसी प्रकृति का उत्तर क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में श्री बुट्टन सिंह पुत्र स्व0 अन्तु सिंह ग्राम नोनवट तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ महोदय को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत की गई है। उपरोक्त अवैध खनन का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए वाद संख्या 730/2023 पंजीकृत कर दिनांक 21.12.2023 को निर्णय आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आलोच्य माह में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में पर्यटन विभाग से वित्त पोषित ईको टूरिज्म का कार्य कराया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत किन परिस्थितियों में

Received by
Rahul Rai
31.1.24

आप द्वारा उपरोक्तानुसार वन क्षेत्र से 636.00 घ0मी0 मौरंग (वन उपज) का अवैध खनन किया गया। उक्त उत्खनित मौरंग को तत्काल सम्बन्धित स्थल पर भरकर इस आशय की अनुपालन आख्या उपलब्ध करावे कि क्यों न आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाय। आप इस नोटिस की प्राप्ति से 07 दिन के अन्दर अपना उत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना राजकीय हित में होगा।

(दिलीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 3295 /10ऽ२१ रामनगर, दिनांक, जनवरी 15 ,2024

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ एवं प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को उपरोक्त नोटिस की अतिरिक्त दो–दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मै0 विवान इण्टर प्राइजेज,प्रो0 राहुल किशोर राय,फ्लैट नं0 303 बी, संतसाई इनक्लेव फुलवारी पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार पिन–800013 के इस कार्यालय में तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ के कार्यालय में उपस्थित होने पर इस नोटिस को उन्हें हस्तगत कराकर उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं दिनांकयुक्त पावती अभिलेखों में संधारित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(दिलीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

संलग्नक-2

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य-जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी।

विषय: पत्रांक 3295/10 केश रामनगर जनवरी 15 2024 नोटिस के संबंध में

महोदय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं ग्राम हेतु यहाँ (नौगढ़ क्षेत्र) के अन्तर्गत नन्दू यादव को कार्य दिया था। मेरे वहाँ के तत्कालिक पर्यवेक्षक संदीप कुमार के कहने पर। चूंकि डॉक्टर के द्वारा मुझे बेड रेस्ट दिया गया था, (चिकित्सीय अभिलेख संलग्न है।) इसलिए मैं साइट पर एक माह तक आना नहीं हुआ था इसी समय मेरे संज्ञान में यह विषय आया जो मेरे बिना अनुमति कार्य हुआ। मैं जब पूछा कि मौरम वैधानिक तरीके से लेना था और वहाँ से लाया तो कुछ भी जवाब नहीं मिला।

अतः हमने अपने पर्यवेक्षक संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया। और सभी साइड स्टाफ को निर्देश दिया कोई भी काम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं कराया जाए और वहाँ से मैटरियल लाया जा रहा है उसकी भी निरिक्षण किया जाये।

T.C.
आ०का०कार्य।
[signature]
प्र०व०अ०
13/04/24

श्रीमान से अनुरोध है कि जो भी हुआ है

इसमें हमारी किसी भी प्रकार की कोई संलिप्ता नही है।
अतः इस प्रकरण से हमे मुक्त किया जावे।

धन्यवाद।

संलग्नक उपरोक्ता अनुसार।

भवदीय

Rahul Rai

दिवान इम्पेक्स ग्राइमेक्स
31.1.24

Tax Invoice

SHREE SAI AUTOMOBILES DHURIYA AHRAURA MIRZAPUR GSTIN/UIN: 09CKUPS6540K1Z6 State Name : Uttar Pradesh, Code : 09	Invoice No. **167**	Dated **9-Feb-2024**
	Delivery Note	Mode/Terms of Payment
	Supplier's Ref.	Other Reference(s)
Buyer **VIVAAN ENTERPRISES** C/O Ujjwel Prakas, House No. L-72, Road No. 20, SK Nagar Patna, Patna, Bihar, 800001 GSTIN/UIN : 10ANDPR0147F1ZL State Name : Bihar, Code : 10	Buyer's Order No.	Dated
	Despatch Document No.	Delivery Note Date
	Despatched through	Destination
	Terms of Delivery	

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	**Bolder**		0 %	**12 M**	350.00	M	**4,200.00**
	IGST				5	%	**210.00**
	Total			**12 M**			**₹ 4,410.00**

Amount Chargeable (in words) E. & O.E

INR Four Thousand Four Hundred Ten Only

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Customer's Seal and Signature	for SHREE SAI AUTOMOBILES Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

Tax Invoice

SHREE SAI AUTOMOBILES DHURIYA AHRAURA MIRZAPUR GSTIN/UIN: 09CKUPS6540K1Z6 State Name : Uttar Pradesh, Code : 09	Invoice No. 166 Delivery Note Supplier's Ref.	Dated 7-Feb-2024 Mode/Terms of Payment Other Reference(s)
Buyer **VIVAAN ENTERPRISES** C/O Ujjwel Prakas, House No. L-72, Road No. 20, SK Nagar Patna, Patna, Bihar, 800001 GSTIN/UIN : 10ANDPR0147F1ZL State Name : Bihar, Code : 10	Buyer's Order No. Despatch Document No. Despatched through Terms of Delivery	Dated Delivery Note Date Destination

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	**MORAM**		0 %	**636 M**	300.00	M	**1,90,800.00**
	IGST				5	%	**9,540.00**
	Total			**636 M**			**₹ 2,00,340.00**

Amount Chargeable (in words) *E. & O.E*

INR Two Lakh Three Hundred Forty Only

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Customer's Seal and Signature	**for SHREE SAI AUTOMOBILES** Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

मोरंम एवं मिट्टी से भरान किया गया
(नौगढ़ बीट, पण्डी वन ब्लाक कं0नं0–14)

संलग्नक 3 व 4

मोरंग एवं मिट्टी से भरान किये गये
क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य ट्रेंच का खुदान
atitude: 24.863048
ongitude: 83.292638
levation: 284.63±10 m
ccuracy: 5.5 m
ime: Feb 20 2024
ote: nonwat

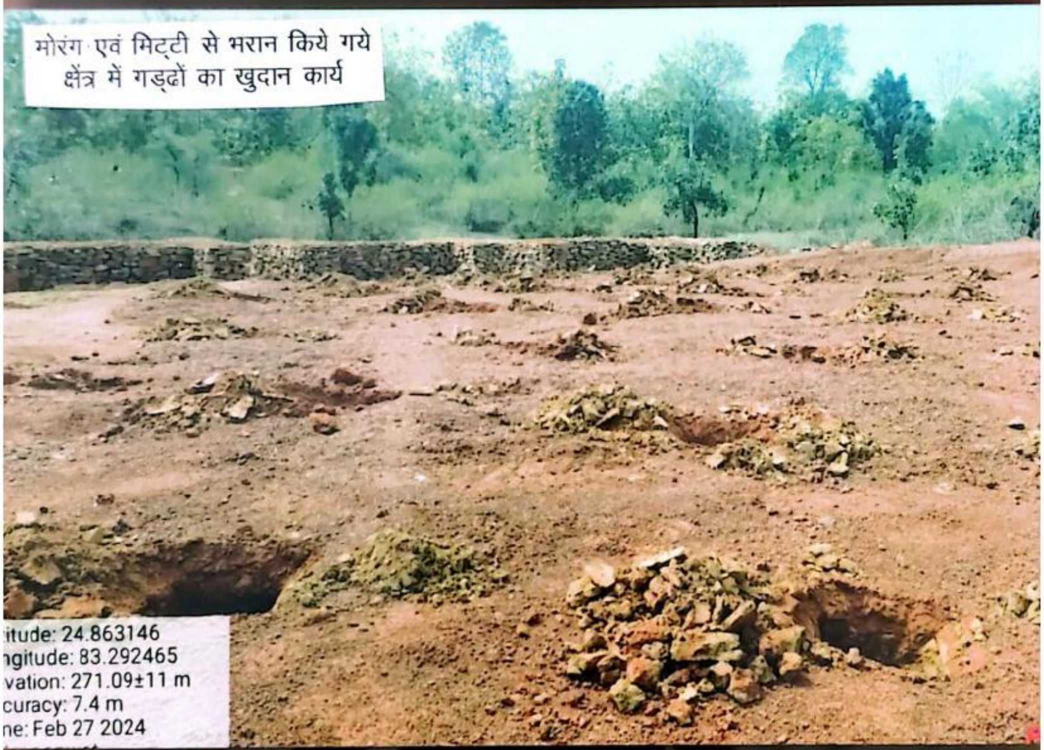
मोरंग एवं मिट्टी से भरान किये गये
क्षेत्र में गड्ढों का खुदान कार्य
itude: 24.863146
ngitude: 83.292465
vation: 271.09±11 m
curacy: 7.4 m
ne: Feb 27 2024

मोरंग एवं मिट्टी से भरान किये गये
क्षेत्र में रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य
atitude: 24°51.784'
ongitude: 83°17.536'
levation: 240.68±23 m
ccuracy: 33.6 m
ime: 22-02-2024 13:21

उत्खनित मोरंग वन क्षेत्र
(नौगढ़ बीट, पण्डी वन ब्लाक कं0नं0–14)

रजिस्टर्ड

नोटिस

सेवा में,

मै0 विवान इण्टर प्राइजेज,
प्रो0 राहुल किशोर राय,
फ्लैट नं0 303 बी, संतसाई इनक्लेव फुलवारी पटना,
पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार।
पिन– 800013

महोदय,

दिनांक 02.12.2023 को शिकायत प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी, नौगढ़ द्वारा नायब तहसीलदार नौगढ़ व उनके हमराहियों को नौगढ़ वन रेंज के नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब की जांच हेतु मौके पर भेजा गया। मौके पर एक जे0सी0बी0 एवं तीन ट्रैक्टर आरक्षित वन क्षेत्र के अन्दर मौरंग का अवैध खनन करते पाये गये। मौके से ही नायब तहसीलदार द्वारा उक्त जे0सी0बी0 एवं तीनों ट्रैक्टर ट्राली सहित मय मौरंग(वन उपज) के नौगढ़ थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। प्रकरण आरक्षित वन क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त वाहनों को समदिनांक को ही क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा नौगढ़ थाने से अपनी अभिरक्षा में प्राप्त कर नियमानुसार विविधक कार्यवाही आरम्भ की गई। प्रश्नगत अवैध खनन की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी मझगाई रेज से करायी गई। उनके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर 636.00 घ0मी0 मौरंग (वन उपज) का अवैध खनन किया जाना अवगत कराया गया। प्रकरण में जे0सी0बी0 के चालक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपरोक्त अवैध खनन कार्य आपके द्वारा कराया गया है। इसी प्रकृति का उत्तर क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में श्री बुद्टन सिंह पुत्र स्व0 अनु सिंह ग्राम नोनवट तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ महोदय को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत की गई है। उपरोक्त अवैध खनन का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए वाद संख्या 730/2023 पंजीकृत कर दिनांक 21.12.2023 को निर्णय आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आलोच्य माह में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में पर्यटन विभाग से वित्त पोषित ईको टूरिज्म का कार्य कराया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत किन परिस्थितियों में

Received by
Rahul Rai
31.1.24

आप द्वारा उपरोक्तानुसार वन क्षेत्र से 636.00 घ0मी0 मौरंग (वन उपज) का अवैध खनन किया गया। उक्त उत्खनित मौरंग को तत्काल सम्बन्धित स्थल पर भरकर इस आशय की अनुपालन आख्या उपलब्ध करावे कि क्यों न आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाय। आप इस नोटिस की प्राप्ति से 07 दिन के अन्दर अपना उत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना राजकीय हित में होगा।

(दिलीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 3295 /10के79 रामनगर, दिनांक, जनवरी 15 ,2024

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ एवं प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को उपरोक्त नोटिस की अतिरिक्त दो–दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मै0 विवान इण्टर प्राइजेज,प्रो0 राहुल किशोर राय,फ्लैट नं0 303 बी, संतसाई इनक्लेव फुलवारी पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना बिहार पिन–800013 के इस कार्यालय में तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ के कार्यालय में उपस्थित होने पर इस नोटिस को उन्हें हस्तगत कराकर उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं दिनांकयुक्त पावती अभिलेखों में संधारित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(दिलीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

28/3/24

VIVAAN ENTERPRISES

Mobile:9471000451 GSTIN: 10ANDPR0147F1ZL

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जवाहरन नगर, भेलूपुर,
वाराणसी।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 730/2023, न्यूज आइटम अपीयरिंग इन चन्दौली समाचार, दिनांक 02.12.2023 टाइटिल, "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा थ अवैध मोरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने शुरू की जाँच" में पारित आदेश दिनांक–21.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2373/एन.जी.टी. ओ.ए.नं. 730/2023/2023–24, दिनांक 07.03.2024 का संदर्भ लेने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड जल प्रपात, पर्यटन विकास कार्य हेतु मेरी संस्था मै0 विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार द्वारा नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य के सम्बंध में स्पष्टीकरण/उत्तर चाही गयी है। महोदय मै आज दिनांक 28.03.2024 को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभागीय वनाधिकारी, कशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के अनुपालन में उपस्थित हुआ। कार्यालय में उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि मुझे आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 07.03.2024 के मेरी संस्था के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था। मै माह मार्च, 2024 में दिनांक 04.03.2024 से दिनांक 15.03.2024 तक पटना से बाहर होने के कारण पत्र प्राप्त नहीं कर सका था, जिसके कारण समय से वांछित उत्तर आपको प्रेषित नहीं कर सका। वापस हुई पंजीकृत पत्र आज दिनांक 28.03.2024 को प्राप्त किया, जिसके कम में वांछित उत्तर निम्नवत प्रस्तुत है:–

महोदय अवगत कराना है कि नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास कार्य के अन्तर्गत मेरी संस्था मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को एप्रोच रोड के निर्माण हेतु वर्क आर्डर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को निर्गत किया गया था। मेरी संस्था द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य कर पाथवे निर्माण में प्रयोग किया गया है। मेरी संस्था द्वारा अज्ञानतावश 636 घनमीटर मोरंग का अवैध खनन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, कशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के निर्देशानुसार मेरी संस्था द्वारा उत्खनित स्थल को मोरंग से भरवा दिया गया है।

अतः महोदय अनुरोध है कि मेरी संस्था द्वारा अज्ञानता में किये गये उक्त मोरंग खुदान कार्य हेतु क्षमा करने की कृपा करें तथा आश्वस्त कराना चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि मेरी संस्था द्वारा न हो, का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

प्रार्थी,

दिनांकः–28.03.2024

Rahul Rai

(राहुल किशोर राय)
मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज,
निवासी फ्लैट नं0 303 बी,
सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी,
पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0,
पटना, बिहार।
मो0नं0–9471000451

28/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24

VIVAAN ENTERPRISES

Mobile: 9471000451 GSTIN: 10ANDPR0147F1ZL

2/4/24

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जवाहरल नगर, भेलूपुर,
वाराणसी।

विषयः- मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं0 730/2023, न्यूज आइटम अपीयरिंग इन चन्दौली समाचार दिनांक 02.12.2023 टाइटिल, "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा थ अवैध मोरंग खनन, एसडीएम की कार्यवाह तो डीएफओ ने शुरू की जाँच" में पारित आदेश दिनांक-21.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञात जानकारी के अनुसार नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटांड जल प्रपात क्षेत्र में मोरंग खुदाई का कार्य लगभग 6 दिन चला था इस दौरान अस्वस्थता के कारन राँची मे मेरा ईलाज चल रहा था I

अतः महोदय अनुरोध है कि मेरी संस्था द्वारा अज्ञानता में किये गये उक्त मोरंग खुदान कार्य हेतु क्षमा करने की कृपा करें तथा आश्वस्त कराना चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि मेरी संस्था द्वारा न हो, का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

दिनांकः- 02-04-2024

प्रार्थी

Rahul Rai

(राहुल किशोर राय)
मेमर्स विवान इण्टरप्राईजेज,
निवासी फ्लैट नं0 303 बी,
मन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी,
पटना, पाटलीपुत्र, एस०ओ०,
पटना, बिहार।
मो0नं0-9471000451

SA(S)/MA
2/4/24
2.4.24
02-4-24
02/4/24

12/3/24

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आवास विकास आफिस काम्पलेक्स,
जवाहर नगर भेलुपुर वाराणसी।

पत्रांकः 523/तीस–उपखनिज/2023–24 दिनांक 12 मार्च, 2024

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 न0–730/2023, न्युज आइटम अपीयरिंग इन चन्दौली समाचार, दिनांक 02.12.2023 टाइटिल, " वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध खनन, एसडीएम की कार्यवाही तो डीएफओ ने शुरू की जांच" में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2373/NGT OA No. 730/2023/2023-24 दिनांक 07.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) तहसील–नौगढ़, चन्दौली में मोरंग के खुदान कार्य हेतु विभाग से अनुमति के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) तहसील–नौगढ़, चन्दौली में मोरंग के खुदान कार्य हेतु खनिज विभाग से कोई अनुमति जारी नही की गयी है।

12/03/24
खान अधिकारी,
चन्दौली।

12/3/24

12/3/24

12-3/24

12-3-24

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 109887/सी–6/सा0–807/एनजीटी ओए न0–730/2022/2024 Dated 24-4-24

पंजीकृत

श्री राहुल किशोर राय (प्रोपराईटर),
मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज,
फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पाटलीपुत्र, पटना,
बिहार– 800013। मोबाइल नं–9471000451।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को प्रेषित निरीक्षण आख्यानुसार जनपद–चन्दौली, तहसील–नौगढ़ के नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास का कार्य मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा कराया जा रहा है। उक्त फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग का खुदान कार्य कर उपरोक्त पाथवे निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 719/2023 News Item Titled "माफियाओं को किसी का डर नहीं, इस जिले में बेरोकटोक हो रहा अवैध खनन" Appearing in Hindustan dated 22.11.2023 स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"....... *4. The reply filed on the basis of the advance notice does not disclose any action against the Project Proponents for causing environmental loss and consequential imposition of EC. Hence, the UPPCB is directed to ascertain it and take appropriate action in this regard after duly complying with the principle of 'Natural Justice' and giving an opportunity of hearing to the Project Proponent.*

6. The action taken report be also submitted by the UPPCB before the Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and if found necessary, the matter may be listed for consideration before the Tribunal.............."

यह कि उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के साथ प्रश्नगत खनन का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली से मोरंग का खुदान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत मै0 विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्र दिनांक 07.03.2024 द्वारा मोरंग खुदान के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु भारतीय डाक विभाग द्वारा पंजीकृत पत्र पर Not Traces लिखकर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में दिनांक 15.03.2024 को वापस प्राप्त हुआ।

यह कि मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाई इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार के श्री राहुल किशोर राय क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने पत्र दिनांक 28.03.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपस्थित हुआ हूँ तथा दिनांक 04.03.2024 से 15.03.2024 तक पटना से बाहर होने के कारण पत्र प्राप्त नहीं कर सका था, जिसके कारण वांछित उत्तर प्रेषित नहीं कर सका। मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के श्री राहुल किशोर राय द्वारा मोरंग खनन के सम्बंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

"........................ नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत औरवाटॉड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास कार्य के अन्तर्गत मेरी संस्था मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को एप्रोज रोड के निर्माण हेतु वर्क आर्डर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को निर्गत किया गया था। मेरी संस्था द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14बी (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य कर पाथवे निर्माण में प्रयोग किया गया है। मेरी संस्था द्वारा अज्ञानतावश 636 घनमीटर मोरंग का अवैध खनन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के निर्देशानुसार मेरी संस्था द्वारा उत्खनित स्थल को मोरंग से भरवा दिया गया है.............."

यह कि मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री राहुल किशोर राय, निवासी फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार द्वारा पत्र दिनांक 02.04.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को अवगत कराया गया है कि नौगढ़ रेंज के अन्तर्गत ओरवा टाड़ जल प्रपात क्षेत्र में मोरंग खुदाई का कार्य लगभग 06 दिन चला था।

यह कि खान अधिकारी, चन्दौली द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को अवगत कराया गया है कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब, नौगढ़ रेन्ज (आरक्षित वन क्षेत्र), नौगढ़, तहसील–नौगढ़, जनपद–चन्दौली में मोरंग के खुदान कार्य हेतु खनिज विभाग से कोई अनुमति जारी नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र से अवैध मोरंग का खुदान किया गया है।

यह कि मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार द्वारा राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ/सचालनार्थ सहमति प्राप्त किये 06 दिवस हेतु खनन कार्य किया गया है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल एवं कलस्टर में स्थापित खनन पट्टों को लाल श्रेणी एवं अन्य 05 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों को नांरगी श्रेणी में आच्छादित किया गया है, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत पूर्व सहमति आवश्यक है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्यानुसार पट्टा धारक श्री राहुल किशोर राय, प्रोपराईटर, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा 06 दिवसों तक खनन कार्य तक उपरोक्त एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि पट्टा धारक श्री राहुल किशोर राय, प्रोपराईटर, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा 06 दिवसों तक खनन कार्य तक उपरोक्त एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से इकाई के विरूद्ध उल्लंघनकारी अवधि कुल 06 दिवसों के सापेक्ष नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

यह कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37500/– आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, N (Number of days)=6, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million. लिया गया है।

यह कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1,43,100/– आती है, जिसमें D (Market Value of Illegally Mined Material)=636x75=47,700/-, RF (Risk Factor)=1, DF (Deterrence Factor)=1 लिया गया है।

(3)

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य एवं अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य एवं अवैध खनन किये के फलस्वरूप रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

24/5/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

24/5/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 110165....../ सी–6/सा0–869/माइनिंग/अम्बेडकर नगर/24 Dated 01-5-24

ई–मेल/पंजीकृत

Annexure-3

सेवा में,

श्री राहुल किशोर राय (प्रोपराईटर),
मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज,
फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पाटलीपुत्र, पटना,
बिहार– 800013। मोबाइल नं–9471000451।

विषयः इकाई श्री राहुल किशोर राय, प्रोपराईटर, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2024 को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच.09887/सी0–6सा0–807/एनजीटी ओए न0–730/2022/2024 दिनांक 24.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री राहुल किशोर राय, प्रोपराईटर, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य एवं अवैध खनन किये के फलस्वरूप रू0 1,80,600/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2024 के सम्बन्ध में इकाई द्वारा राज्य बोर्ड को अपना उत्तर दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से राज्य बोर्ड को प्रेषित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"........ नौगढ़ रेन्ज के अन्तर्गत औरवाटांड़ जल प्रपात, पर्यटन विकास कार्य के अन्तर्गत मेरी संस्था मै0 विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार को एप्रोच रोड के निमार्ण हेतु वर्क आर्डर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को जारी किया गया था। मेरी संस्था द्वारा उक्त कार्य के अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण कार्य नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य पाथवे निर्माण में प्रयोग किया गया है। मेरी संस्था द्वारा अज्ञानतावश 636 घनमीटर मोरंग खनन का अवैध खनन किया गया, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के निर्देशानुसार मेरी संस्था द्वारा उत्खनित स्थल को मोरंग से भरवा दिया गया है।

महोदय अग्रेतर अवगत कराना है कि नौगढ़ बीट के ब्लाक कं0नं0–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) में मोरंग के खनन कार्य लगभग छः दिन चला था। मेरी अज्ञानतावश उक्त खनन कार्य किया गया। आपके पत्र दिनांक 24.04.2024 के द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य एवं अवैध खनन कार्य हेतु कुल धनराशि 1,80,600/– (रू0 एक लाख अस्सी हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महोदय अवगत कराना है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि मेरी संस्था के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा आश्वस्त कराता हूँ कि आपके आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु आंकलित/अधिरोपित उक्त धनराशि व जमा करने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाता संख्या का डिटेल्स उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे तत्काल अधिरोपित धनराशि को बोर्ड खाते में जमा कराया जा सके। महोदय यह भी अनुरोध करना है कि मेरी संस्था द्वारा अज्ञनतावश किये गये अवैध मोरंग खनन कार्य हेतु जमा करने की कृपा करें तथा में इस प्रकार की कोई त्रुटि मेरी संस्था द्वारा नही किया जायेगा ..... "

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 29.04.2024 द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गई है। आख्यानुसार प्रश्नगत खनन स्थल का निरीक्षण/सर्वेक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 27.04.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय निरीक्षण के समय उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मोरंग उत्खनित क्षेत्र को मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज के ठेकेदार से भरवा दिया गया है। निरीक्षण के समय उत्खनित स्थल मोरंग से भरा हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर 6.0 मीटर लम्बाई x 4.0 मीटर चौड़ाई एवं 1.0 मीटर ऊँचाई के 04 रिटेनिंग वाल का निर्माण किया हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इससे वर्षाकाल में बोना नाली में

Scanned with OKEN Scanner

जल का संचय होगा तथा रिटेनिंग वाल से वर्षा के जल का बहाव अवरूद्ध होने के कारण उत्खनित वन भूमि में नमी बढ़ाने में सुविधा होगी। साथ ही डाली गयी मोरंग पूरी तरह स्थापित हो जायेगा। उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त रिस्टोर्ड उत्खनित स्थल पर आगामी वर्षाकाल 2024 में स्थानीय प्रजाति यथा खैर, बेर, ऑवला, नीम, शीशम, महुआ एवं इमली के स्थानीय रूप से एकत्र किये गये बीज का बुआन किया जायेगा। निरीक्षण के समय मोरंग खुदान स्थल पर पौधरोपड़ हेतु 100 गड्ढे खुदे पाये गये। उप प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया कि खुदे गड्ढों में बहेड़ा, ऑवला, महुआ, नीम, पलास, बेर, इमली के पौधों का रोपड़ आगामी वर्षाकाल में किया जायेगा।

उक्त के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 24.04.2024 को निर्गत कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित पट्टा धारक श्री राहुल किशोर राय, प्रोपराईटर, मेसर्स विवान इण्टरप्राईजेज, फ्लैट नं0 303 बी, सन्तसाईं इन्क्लेव, फुलवारी, पटना, पाटलीपुत्र, एस0ओ0, पटना, बिहार, पिन–800013 द्वारा 06 दिवसों तक खनन कार्य तक उपरोक्त एप्रोच रोड निर्माण कार्य में नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के ब्लाक कक्ष संख्या–14ब (आरक्षित वन क्षेत्र) पर राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,80,600/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2024 को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति, पट्टा धारक के उत्तर दिनांक 25.04.2024 एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पट्टा धारक के विरूद्ध रू0 1,80,600/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओं नोटिस दिनांक 24.04.2024 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तो के अधीन निस्तारित किया जाता हैः–

1. इकाई के विरूद्ध 06 उल्लंघनकारी दिवस हेतु **रू0 1,80,600/– (रू0 एक लाख छः सौ अस्सी हजार मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूति अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC** कोड **UBIN 0570150** में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. पट्टा धारक द्वारा भविष्य में राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किसी भी खनन पट्टे का संचालन किया जाये।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सेण्ड माइनिंग हेतु निर्गत गाईड लाईन "Enforcement & Monitoring Guidelines of Sand Mining" का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर खनन हेतु जारी गाईड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

01/5/24
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

01/5/24
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)